# निदेशालय : उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

**व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग**

**राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर, अलीगंज, लखनऊ 226024**

**दिनांक- 22 जनवरी, 2025**

## कार्यालय- आदेश

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं के मध्य निष्पादित अनुबंध में लक्ष्यावंटन के 90 दिवसों के अन्दर शत-प्रतिशत आवंटित सेक्टर्स में प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन प्रारंभ किये जाने का प्राविधान है परन्तु उक्त 90 दिवस की अवधि के दौरान संपादित किये जाने वाली विभिन्न गतिविधियों/चरणों के लिए स्पष्ट समय सारिणी निर्धारित की जाती है ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन का सहवर्ती अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा सके।

चूंकि कौशल प्रशिक्षण चक्र के विभिन्न चरणों के मध्य सावयवी समयबद्धतायें हैं, अतः प्रत्येक स्तर पर समयबद्ध कार्यवाही की सुनिश्चितता का प्रभाव योजनाओं के निर्धारित आउटकम्स पर भी परिलक्षित होना स्वाभाविक है।

अतएव उक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण चक्र से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु समयसीमा तथा उत्तरदायित्व का निर्धारण किये जाने हेतु मानक प्रक्रियात्मक चरण एवं अवधि का निर्धारण किया जाता है ।

अतः अनुबंध के प्राविधानों के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समयबद्ध संचालन हेतु निम्न समय सारिणी निर्धारित की जाती हैः-

| क्र0 सं0 | स्तर | कार्य विवरण | समय सीमा | कुल दिवस (संख्या) | किसके द्वारा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L0 | लक्ष्य आवंटित किया जाना | 0 | - | उ0प्र0 कौशल विकास मिशन |
| 2 | L1 | आवंटित लक्ष्यों को पोर्टल पर अपलोड किया जाना | L0 से 03 दिवस की अवधि में | 03 | -तदैव- |
| 3 | L2 | प्रशिक्षण केन्द्र का चयन तथा टी0ओ0टी0 प्रमाणपत्र धारक प्रशिक्षकों की व्यवस्था करना | L0 से 20 दिवस की अवधि में | 20 | सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता |
| 4 | L3 | प्रशिक्षण केन्द्र के निरीक्षण हेतु पोर्टल पर अनुरोध करना | L2 के 03 दिवस की अवधि में | 23 | -तदैव- |
| 5 | L4 | प्रशिक्षण केन्द्र का भौतिक निरीक्षण करना | L3 से 03 दिवस की अवधि में | 26 | डी0पी0एम0यू0, सम्बन्धित जनपद |
| 6 | L5 | प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा मोबिलाइजेशन व जागरूकता शिविरों का आयोजन | L0 से 45 दिवस की अवधि में | 45 | सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता |
| 7 | L6 | प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रशिक्षार्थियों व उनके अभिभावकों का उपबोधन | L5 के 10 दिवस की अवधि में | 55 | -तदैव- |
| 8- | L7 | अर्ह व इच्छुक प्रशिक्षार्थियों के चयन का अंतिमीकरण | L6 के 10 दिवस की अवधि में | 65 | -तदैव- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | L8 | प्रशिक्षार्थियो का पंजीकरण | L7 के 05 दिवस की अवधि में | 70 | -तदैव- |
| 10 | L9 | बैच निर्माण कर अनुमोदन हेतु पोर्टल पर रिकवेस्ट अपलोड करना | L8 के 05 दिवस की अवधि में | 75 | -तदैव- |
| 11 | L10 | बैच निर्माण कर पोर्टल पर बैच फ्रीज करना | L9 के 10 दिवस की अवधि में | 85 | -तदैव- |
| 12 | L11 | बैच सत्यापन/अनुमोदन | L10 के 05 दिवस की अवधि में | 90 | डी0पी0एम0यू0, सम्बन्धित जनपद |
| | | योग | | 90 दिवस | |
| 13 | L12 | पाठ्यसामग्री का वितरण | L11 के पश्चात् 07 दिवस की अवधि में | - | सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता |
| 14 | L13 | बैच मूल्यांकन हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट अपलोड करना | बैच समाप्ति के 07 दिवस की अवधि में | - | -तदैव- |
| 15 | L14 | रोजगार मेले का आयोजन | प्रतिमाह 70% उपस्थिति पूर्ण करने वाले समस्त प्रशिक्षार्थियों के सेवायोजन हेतु | - | -तदैव- |
| 16 | L15 | प्रशिक्षित एवं सफल मूल्यांकित प्रशिक्षार्थियों का सेवायोजन | मूल्याकन/प्रमाणन की तिथि से 90 दिवस की अवधि में | - | -तदैव- |
| 17 | L16 | सेवायोजित प्रशिक्षार्थियों का अनुसरण/अनुश्रवण | सेवायोजन की प्रारम्भिक तिथि से 365 दिवस अर्थात 1 वर्ष तक | - | -तदैव- |

अनुबंध की General Conditions of Contract के अन्तर्गत (Operation of the Contract) निहित प्रतिबंधों के अधीन उक्त कार्यालयादेशों के प्राविधान प्रशिक्षण प्रदाताओं व मिशन के मध्य निष्पादित अनुबंध का भाग माने जायेंगें।

यदि किसी विचलन का प्रकरण संज्ञान में आता है, तो अनुबंध के प्राविधानों के अनुसार दण्डाधिरोपण (Imposition of Penalty) की कार्यवाही की जाएगी।

उक्त आदेश राज्य संचालन समिति, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की 17वीं बैठक दिनांक 19 नवम्बर, 2024 में लिए गये निर्णय के क्रम में निर्गत किए जाते है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगें।

Signed by
Abhishek Singh
Date: 22-01-2025 13:57:31

(अभिषेक सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।
3. अपर मिशन निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिशिक्षु), उ0प्र0।

5. समस्त जिला समन्वयक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइ, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, उ0प्र0।
6. समस्त प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
7. समस्त राजकीय/निजी/इण्डस्ट्रियल/स्टार्टअप प्रशिक्षण प्रदाता, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
8. सहायक प्रबन्धक आई0टी0 प्रकोष्ठ को इस निर्देश के साथ कि पोर्टल पर उपरोक्तानुसार व्यवस्था करते हुए आदेश पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाइल।

(अभिषेक सिंह)
मिशन निदेशक